राजस्थान सरकार

निदेशालय महिला अधिकारिता

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक :– प.3(1)निमअ/सामान्य/टाईम्स/2019–।।/ 28157 जयपुर, दिनांक 20/7/22

कार्यालय आदेश

विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 16981 दिनांक 12.06.2019 एवं 14623 दिनांक 11.08.2020 के अतिक्रमण में महिला अधिकारिता विभाग में संचालित कार्यक्रम एवं योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों के **जिलों का आवंटन** निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी	आवंटित जिला
1	अतिरिक्त निदेशक म.अ.	कोटा, उदयपुर, झालावाड़, राजसमन्द, सीकर
2	अतिरिक्त निदेशक, एसएचजी, म.अ.	अजमेर,दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, बून्दी,
3	अतिरिक्त निदेशक, जैण्डर, म.अ.	जोधपुर, जयपुर, जालौर, पाली, सिरोही
4	वित्तीय सलाहकार, म.अ.	चूरू, टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर
5	उपनिदेशक, म.सुं.प्र., म.अ.	झुन्झूनू, करौली, धौलपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, बासवाड़ा
6	कार्यक्रम निदेशक, मीडिया, म.अ.	बारां, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डूंगरपुर

शेष 2 जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर) में क्रमांक 1 से 6 के अधिकारी, आयुक्त, म.अ. के निर्देशानुसार भ्रमण करेंगे।

उपरोक्त अधिकारीगण आवंटित जिलों में संलग्न निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आवंटित जिलों में दौरा, निरीक्षण, व रात्रि विश्राम करेंगे। निरीक्षण के दौरान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा संचालित समस्त योजनाओं/कार्यक्रमों के निरीक्षण कर साथिन द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक/जाजम बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर उसमें होने वाली गतिविधियों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। भ्रमण के दौरान अधिकारी बालिकाओं/महिलाओं के लिये चल रही योजना राज्य सरकार की योजना के क्रियान्वयन में साझेदार विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों/मानदेय कर्मियों के कार्यों एवं साथिन के कार्यों में अन्तर्विभागीय समन्वय के पर्यवेक्षण पर भी अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी देना सुनिश्चित करेंगे तथा फोटोग्राफ मुख्यालय को प्रेषित करें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् से मिलकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का आंकलन करेंगे। क्षेत्र में योजनाओं के लाभान्वित से चर्चा करते हुए योजनाओं के प्रभाव के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।